रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3084] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 2016/पौष 7, 1938
No. 3084] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 2016/PAUSA 7, 1938

IndiaCode

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2016

का. आ. 4212(अ).— कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण् विभाग ने डॉ अनुपम वर्मा, (भूतपूर्व राष्ट्रीय प्राचार्य), भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली की अध्यक्षता में भारत में रजिस्ट्रीकृत नीयो-निकोटीनोईड कीटनाशियों के उपयोग के पुनरावलोकन के लिए 8 जुलाई, 2013 को एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समिति के तारीख 19 अगस्त, 2013 के आदेश का 66 कीटनाशियों जो अन्य देशों में प्रतिबंधित और निर्बंधित है लेकिन भारत में घरेलू उपयोग के लिए रजिस्ट्रीकृत किया जाना जारी है, का पुनरावलोकन करने के लिए और आगे विस्तार किया गया था। विशेषज्ञ समिति ने इस विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

और, रजिस्ट्रीकरण समिति ने उसकी 361 वीं विशेष बैठक में रिपोर्ट पर विचार किया था और इस विभाग को अपने कार्यवृत में अपना संप्रेक्षण प्रस्तुत किया था;

और, केंद्रीय सरकार, उक्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् और रजिस्ट्रीकरण समिति के साथ परामर्श के पश्चात् संतुष्ट है कि इस अधिसूचना के उपाबध में यथा विनिर्दिष्ट 18 कीटनाशियों के उपयोग से मानव और पशुओं को जोखिम संभाव्य है इस कारण से तुरंत कार्यवाही करना समीचीन और आवश्यक है;

अत: अब, प्रारुप आदेश, जिसे केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 27 की उप-धारा 2 के साथ पठित धारा 28 और धारा 36 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है उन सभी संभाव्य प्रभावित व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारुप आदेश पर उस तारीख से जब इस आदेश की राजपत्र की प्रतियां आम जनता को उपलब्ध कराई जाती है, से पैंतालिस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारुप आदेश के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार उपरोक्त पैंतालिस दिवस की अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

उक्त प्रारुप आदेश के संबंध में आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, तो संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण), कृषि और किसान कल्याण् मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण् विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001 को भेजे जा सकेंगे;

प्रारूप आदेश

1.(i) इस आदेश का नाम कीटनाशियो पर प्रतिबंध लगाने के लिए आदेश, 2016 है।

(ii) ये राजपत्र मे उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगें।

2. कोई व्यक्ति इस आदेश में यथा विनिर्दिष्ट कीटनाशियों का उसमें यथा विनिर्दिष्ट तारीख से विनिर्माण, आयात, बनाना, परिवहन, विक्रय, उपयोग नहीं करेगा।

3. रजिस्ट्रीकरण समिति उक्त उपाबद्ध में यथा विनिर्दिष्ट कीटनाशियों के लिए प्रदान किए गए रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र को वापस ले सकेगी।

4. यदि कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र धारण करता है तीन मास की अवधि के भीतर, खंड (3) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र वापस करने में असफल रहता है, उक्त आदेश में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

5. उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन प्रदत्त उपाबद्ध पर यथा विनिर्दिष्ट कीटनाशियों के लिए प्रमाण-पत्र उस आदेश के उपाबद्ध में यथा विनिर्दिष्ट तारीख से रद्द किया गया समझा जाएगा।

6. प्रत्येक राज्य सरकार उक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाये गए नियमों के उपबंधों के अधीन ऐसे सभी कदम उठायेगी जो वह राज्यों में इस आदेश के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे।

अनुबंध

क्र.स.	**कीटनाशी (कीटनाशियों) का नाम**	**आरसी का विनिश्चय**	**केंद्रीय सरकार का विनिश्चय**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बेनोमाइल	(i) अब से रजिस्ट्रीकरण, आयात और विनिर्माण प्रतिषिद्धि किया जाता है और उसका उपयोग 1 जनवरी, 2018 से पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। (ii) लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट होगा कि बेनोमाइल जलीय जीव के लिए विषैला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि, मछली की खेती के पास इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। (iii) उत्पाद टैराटोजेनिक और फोइटोटोक्सिक है इसलिए लेबल और पत्रक पर एक निम्नलिखित चेतावनी कथन समाविष्ट किया जाना चाहिए "यह फाइटोटोक्सिक और टैराटोजेनिक है इसलिए गर्भवती महिलाएं उत्पाद के संपर्क से दूर रहे।"	स्वीकृत
2.	कार्बराइल	(i) अब से रजिस्ट्रीकरण, आयात और विनिर्माण प्रतिषिद्धि किया जाता है और उसका उपयोग 1 जनवरी, 2018 से पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। (ii) लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट होगा कि कार्बराइल जलीय जीव के लिए विषैला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि, मछली की खेती के पास इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। (iii) उत्पाद मधुमक्खियों के लिए अत्यधिक विषैला है इसलिए लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट किया जाना चाहिए कि सक्रिय मधुमक्खी फोरेजिंग अवधि के दौरान छिड़काव करने से दूर रहना चाहिए।	स्वीकृत
3.	डायजिनोन	अब से रजिस्ट्रीकरण, आयात और विनिर्माण प्रतिषिद्धि किया जाता है और उसका उपयोग 1 जनवरी, 2018 से पूर्णत: प्रतिबंधित होगा।	स्वीकृत
4.	फेनारिमोल	(i) अब से रजिस्ट्रीकरण, आयात और विनिर्माण प्रतिषिद्धि किया जाता है और उसका उपयोग 1 जनवरी, 2018 से पूर्णत: प्रतिबंधित होगा।	स्वीकृत

IndiaCode

		(ii) यह जलीय जीव के लिए विषैला है इसलिए लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट होगा कि जल निकायों, जलीय कृषि, मछली की खेती के पास इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।	
5.	फेंथिओन	(i) अब से रजिस्ट्रीकरण, आयात और विनिर्माण प्रतिषिद्धि किया जाता है और उसका उपयोग 1 जनवरी, 2018 से पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। (ii) लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट होगा कि यह जलीय जीव के लिए विषैला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि, मछली की खेती के पास इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।	स्वीकृत
6.	लिनुरोन	(i) अब से रजिस्ट्रीकरण, आयात और विनिर्माण प्रतिषिद्धि किया जाता है और उसका उपयोग 1 जनवरी, 2018 से पूर्णत: प्रतिबंधित होगा।	स्वीकृत
7.	मेथोक्सी ईथाइल मरकरी क्लोराइड (एमईएमसी)	(i) अब से रजिस्ट्रीकरण, आयात और विनिर्माण प्रतिषिद्धि किया जाता है और उसका उपयोग 1 जनवरी, 2018 से पूर्णत: प्रतिबंधित होगा।	स्वीकृत
8.	मिथाईल पैराथिओन	(i) अब से रजिस्ट्रीकरण, आयात और विनिर्माण प्रतिषिद्धि किया जाता है और उसका उपयोग 1 जनवरी, 2018 से पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। (ii) लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट होगा कि यह जलीय जीव के लिए विषैला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि, मछली की खेती के पास इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। (iii) लेबल/पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट होगा कि यह उत्पाद चिड़ियों के लिए विषैला है (iv) लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट किया जा सकेगा कि उत्पाद मधुमक्खियों के लिए विषैला है इसलिए सक्रिय मधुमक्खी फोरेजिंग अवधि के दौरान छिड़काव नहीं करे।	स्वीकृत
9.	सोडियम सायनाईड	(i) अब से रजिस्ट्रीकरण, आयात और विनिर्माण प्रतिषिद्धि किया जाता है और उसका उपयोग 1 जनवरी, 2018 से पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। (ii) लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट होगा कि यह जलीय जीव के लिए विषैला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि, मछली की खेती के पास इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। (iii) लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट किया जा सकेगा कि उत्पाद मधुमक्खियों के लिए विषैला है इसलिए सक्रिय मधुमक्खी फोरेजिंग अवधि के दौरान छिड़काव नहीं करे। (iv) लेबल/पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट होगा कि यह उत्पाद चिड़ियों के लिए विषैला है	स्वीकृत
10.	थियोमेटोन	(i) अब से रजिस्ट्रीकरण, आयात और विनिर्माण प्रतिषिद्धि किया जाता है और उसका उपयोग 1 जनवरी, 2018 से पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। (ii) लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट किया जा सकेगा कि उत्पाद मधुमक्खियों के लिए विषैला है इसलिए सक्रिय मधुमक्खी फोरेजिंग अवधि के दौरान छिड़काव नहीं करे।	स्वीकृत
11.	ट्राईडेमोर्फ	(i) अब से रजिस्ट्रीकरण, आयात और विनिर्माण प्रतिषिद्धि किया जाता है और उसका उपयोग 1 जनवरी, 2018 से पूर्णत: प्रतिबंधित होगा।	स्वीकृत
12.	ट्राईफ्लूरेलिन	(i) अब से रजिस्ट्रीकरण, आयात और विनिर्माण प्रतिषिद्धि किया जाता है और उसका उपयोग 1 जनवरी, 2018 से पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। (ii) लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट होगा कि यह जलीय जीव के लिए विषैला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि, मछली	स्वीकृत

		की खेती के पास इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।	
13.	अलाक्लोर	(i) दिसंबर, 2017 के पश्चात विनिर्माता को नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। (ii) कोई व्यक्ति 1 जनवरी, 2019 से अलाक्लोर का आयात, विनिर्माण या बनाना नहीं करेगा। (iii) अलाक्लोर का उपयोग 31 दिसंबर, 2020 से पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। (iv) यह जलीय जीव के लिए विषैला है इसलिए लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट होगा कि "यह जलीय जीव के लिए विषैला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि, मछली की खेती के पास इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए"।	स्वीकृत
14.	डाईक्लोरोवस	(i) दिसंबर, 2017 के पश्चात विनिर्माता को नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। (ii) कोई व्यक्ति 1 जनवरी, 2019 से डाईक्लोरोवस का आयात, विनिर्माण या बनाना नहीं करेगा। (iii) डाईक्लोरोवस का उपयोग 31 दिसंबर, 2020 से पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। (iv) यह जलीय जीव के लिए विषैला है इसलिए लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट होगा कि यह जलीय जीव के लिए विषैला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि, मछली की खेती के पास इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। (v) लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट किया जा सकेगा कि उत्पाद मधुमक्खियों के लिए विषैला है इसलिए सक्रिय मधुमक्खी फोरेजिंग अवधि के दौरान छिड़काव नहीं करे।	स्वीकृत
15.	फोरेट	(i) दिसंबर, 2017 के पश्चात विनिर्माता को नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। (ii) कोई व्यक्ति 1 जनवरी, 2019 से फोरेट का आयात, विनिर्माण या बनाना नहीं करेगा। (iii) फोरेट का उपयोग 31 दिसंबर, 2020 से पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। (iv) यह जलीय जीव के लिए विषैला है इसलिए लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट होगा कि यह जलीय जीव के लिए विषैला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि, मछली की खेती के पास इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। (v) लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट किया जा सकेगा कि उत्पाद मधुमक्खियों के लिए विषैला है इसलिए सक्रिय मधुमक्खी फोरेजिंग अवधि के दौरान छिड़काव नहीं करे। (vi) लेबल/पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट होगा कि यह उत्पाद चिड़ियों के लिए विषैला है।	स्वीकृत
16.	फोस्फामिडोन	(i) दिसंबर, 2017 के पश्चात विनिर्माता को नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। (ii) कोई व्यक्ति 1 जनवरी, 2019 से फोस्फामिडोन का आयात, विनिर्माण या बनाना नहीं करेगा। (iii) फोस्फामिडोन का उपयोग 31 दिसंबर, 2020 से पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। (iv) यह जलीय जीव के लिए विषैला है इसलिए लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट होगा कि यह जलीय जीव के लिए विषैला है	स्वीकृत

		इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि, मछली की खेती के पास इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। (v) लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट किया जा सकेगा कि उत्पाद मधुमक्खियों के लिए विषैला है इसलिए सक्रिय मधुमक्खी फोरेजिंग अवधि के दौरान छिड़काव नहीं करे। (vi) लेबल/पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट होगा कि यह उत्पाद चिड़ियों के लिए विषैला है।	
17.	ट्रायाजोफोस	(i) दिसंबर, 2017 के पश्चात विनिर्माता को नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। (ii) कोई व्यक्ति 1 जनवरी, 2019 से ट्रायाजोफोस का आयात, विनिर्माण या बनाना नहीं करेगा। (iii) ट्रायाजोफोस का उपयोग 31 दिसंबर, 2020 से पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। (iv) यह जलीय जीव के लिए विषैला है इसलिए लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट होगा कि यह जलीय जीव के लिए विषैला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि, मछली की खेती के पास इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। (v) लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट किया जा सकेगा कि उत्पाद मधुमक्खियों के लिए विषैला है इसलिए सक्रिय मधुमक्खी फोरेजिंग अवधि के दौरान छिड़काव नहीं करे। (vi) लेबल/पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट होगा कि यह उत्पाद चिड़ियों के लिए विषैला है।	स्वीकृत
18.	ट्राईक्लोरोफोर्न	(i) दिसंबर, 2017 के पश्चात विनिर्माता को नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। (ii) कोई व्यक्ति 1 जनवरी, 2019 से ट्राईक्लोरोफोर्न का आयात, विनिर्माण या बनाना नहीं करेगा। (iii) ट्राईक्लोरोफोर्न का उपयोग 31 दिसंबर, 2020 से पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। (iv) यह जलीय जीव के लिए विषैला है इसलिए लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट होगा कि यह जलीय जीव के लिए विषैला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि, मछली की खेती के पास इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। (v) लेबल/पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट होगा कि यह उत्पाद चिड़ियों के लिए विषैला है।	स्वीकृत

[फा.सं. 13035/31/2013-पीपी-1]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2016

S.O.4212(E).— Whereas the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare constituted an Expert Committee on 8th July, 2013 under the chairmanship of Dr. Anupam Varma, (Former National Professor), Indian Agricultural Research Institute, New Delhi to review the use of neo-nicotinoid pesticides registered in India. The mandate of the Committee on 19th August, 2013 was further expanded to review 66 pesticides which are banned or restricted in other countries but continue to be registered for domestic use in India. The Expert Committee has submitted the report to this Department;

And whereas, the Registration Committee deliberated the Report in its 361st special meeting and submitted its observation to this Department in its minute;

And whereas, the Central Government, after considering the recommendations of the said Expert Committee and after consultation with the Registration Committee satisfied that the use of 18 pesticides as specified in the Annexure to this Notification are likely to involve risk to human being and animals as to render it expedient or necessary to take immediate action;

Now therefore, the Draft Order, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section 2 of Section 27 read with section 28 and sub-section (1) of section 36 of the Insecticides Act, 1968 (hereinafter referred to as the said Act), is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft order shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this Order are make available to the public;

Any objection or suggestion which may be received from any person in respect of the said draft Order before the expiry of the aforesaid period of forty-five days will be considered by the Central Government.

Any objection or suggestion in respect to the said draft Order may be forwarded to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001.

DRAFT ORDER

1. (i) This Order may be called the Banning of Pesticides Order, 2016
 (ii) It shall come into force on the date of its final publication in the Official Gazette.
2. No person shall manufacture, import, formulate, transport, sell, use pesticides as specified in the Annexure to this Order from the date as specified therein.
3. The Registration Committee shall call back the certificate of registration granted for the pesticides as specified in the said Annexure.
4. If any person who holds the certificate of registration fails to return the certificate to the Registration Committee, referred to in clause (3) , within a period of three months, action shall be taken under the provisions contained in the said Act.
5. The Certificate of registration for the pesticides as specified at Annexure granted under section 9 of the said Act shall be deemed to be cancelled from the date as specified in the Annexure to this order.
6. Every State Government shall take all such steps under the provisions of the said Act and the rules framed thereunder, as it considers necessary for the execution of this order in the state.

Annexure

S.No.	Name of Pesticide(s)	Decision of RC	Decision of Central Government
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Benomyl	(i)The registration, import and manufacture is prohibited henceforth and its use is completely banned w.e.f. 1st January, 2018. (ii) A cautionary statement has to be incorporated in the label and leaflet that Benomyl is toxic to aquatic organism, hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture area (iii) The product is teratogenic and foetotoxic hence following warning statement on the label and leaflet should be incorporated " It is foetotoxic and teratogenic hence pregnant women to avoid contact with the product".	Accepted
2.	Carbaryl	(i)The registration, import and manufacture is prohibited henceforth and its use is completely banned w.e.f. 1st January, 2018. (ii) A cautionary statement has to be incorporated in the label and leaflet that Carbaryl is toxic to aquatic organism, hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture area (iii) The product highly toxic to honey bees hence cautionary statement should be incorporated on the label and leaflet that the spraying should be avoided at the active	Accepted

		honey bee foraging period.	
3.	Diazinon	The registration, import and manufacture is prohibited henceforth and its use is completely banned w.e.f. 1st January, 2018.	Accepted
4.	Fenarimol	(i)The registration, import and manufacture is prohibited henceforth and its use is completely banned w.e.f. 1st January, 2018. (ii) It is toxic to aquatic organism, hence a cautionary statement has to be incorporated in the label and leaflet that avoid use near water bodies, aquaculture or pisciculture area	Accepted
5.	Fenthion	(i)The registration, import and manufacture is prohibited henceforth and its use is completely banned w.e.f. 1st January, 2018. (ii) A cautionary statement has to be incorporated in the label and leaflet that it is toxic to aquatic organism, hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture area.	Accepted
6.	Linuron	(i)The registration, import and manufacture is prohibited henceforth and its use is completely banned w.e.f. 1st January, 2018.	Accepted
7.	Methoxy Ethyl Mercury Chloride (MEMC)	(i)The registration, import and manufacture is prohibited henceforth and its use is completely banned w.e.f. 1st January, 2018.	Accepted
8.	Methyl Parathion	(i)The registration, import and manufacture is prohibited henceforth and its use is completely banned w.e.f. 1st January, 2018. (ii) A cautionary statement has to be incorporated in the label and leaflet that it is toxic to aquatic organism, hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture area. (iii) A cautionary statement should incorporate in label/ leaflet that this product is toxic to birds. (iv) A warning may be incorporated in the label and leaflet stating that this product is toxic to honey bees so do not spray during active honey bees foraging period of the day.	Accepted
9.	Sodium Cyanide	(i)The registration, import and manufacture is prohibited henceforth and its use is completely banned w.e.f. 1st January, 2018. (ii) A cautionary statement has to be incorporated in the label and leaflet that it is toxic to aquatic organism, hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture area. (iii) A warning may be incorporated in the label and leaflet stating that this product is toxic to honey bees so do not spray during active honey bees foraging period of the day. (iv)A cautionary statement should incorporate in label/ leaflet that this product is toxic to birds.	Accepted
10.	Thiometon	(i)The registration, import and manufacture is prohibited henceforth and its use is completely banned w.e.f. 1st January, 2018. (ii) A warning may be incorporated in the label and leaflet stating that this product is toxic to honey bees so do not spray during active honey bees foraging period of the day.	Accepted
11.	Tridemorph	(i)The registration, import and manufacture is prohibited henceforth and its use is completely bannned w.e.f. 1st January, 2018.	Accepted
12.	Trifluralin	(i)The registration for import and manufacture is prohibited henceforth and its use is completely banned w.e.f. 1st January, 2018. (ii) A cautionary statement has to be incorporated in the	Accepted

		label and leaflet that it is toxic to aquatic organism, hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture area.	
13.	Alachlor	(i) No new certificate of registration to manufacture shall be issued after December, 2017 (ii) No person shall import, manufacture or formulate Alachlor w.e.f.1st January, 2019. (iii) The use of Alachlor shall be completely banned w.e.f. 31st December, 2020. (iv)) It is toxic to aquatic organism, hence a cautionary statement should be incorporated on label and leaflets " toxic to aquatic organism hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture area	Accepted
14.	Dichlorvos	(i) No new certificate of registration to manufacture shall be issued after December, 2017 (ii) No person shall import, manufacture or formulate dichlorvos w.e.f. 1st January, 2019. (iii) The use of dichlorvos shall be completely banned w.e.f. 31st December, 2020. (iv)) It is very toxic to aquatic organism, hence a cautionary statement should be incorporated on label and leaflets that it is toxic to aquatic organism, hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture area. (v) A warning may be incorporated in the label and leaflet stating that this product is toxic to honey bees so do not spray during active honey bees foraging period of the day.	Accepted
15.	Phorate	(i) No new certificate of registration to manufacture shall be issued after December, 2017 (ii) No person shall import, manufacture or formulate Phorate w.e.f. 1st January, 2019. (iii) The use of Phorate shall be completely banned w.e.f. 31st December, 2020. (iv)) It is very toxic to aquatic organism, hence a cautionary statement should be incorporated on label and leaflets that it is toxic to aquatic organism, hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture area. (v) A warning may be incorporated in the label and leaflet stating that this product is toxic to honey bees so do not spray during active honey bees foraging period of the day. (vi)A cautionary statement should incorporate in label/ leaflet that this product is toxic to birds.	Accepted
16.	Phosphamidon	(i) No new certificate of registration to manufacture shall be issued after December, 2017 (ii) No person shall import, manufacture or formulate Phosphamidon w.e.f. 1st January, 2019. (iii) The use of Phosphamidon shall be completely banned w.e.f. 31st December, 2020. (iv)) It is very toxic to aquatic organism, hence a cautionary statement should be incorporated on label and leaflets that it is toxic to aquatic organism, hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture area. (v) A warning may be incorporated in the label and leaflet stating that this product is toxic to honey bees so do not spray during active honey bees foraging period of the day. (vi)A cautionary statement should incorporate in label/ leaflet that this product is toxic to birds.	Accepted
17.	Triazophos	(i) No new certificate of registration to manufacture shall be issued after December, 2017 (ii) No person shall import, manufacture or formulate	Accepted

		Triazophos w.e.f. 1st January, 2019. (iii) The use of Triazophos shall be completely banned w.e.f. 31st December, 2020. (iv)) It is very toxic to aquatic organism, hence a cautionary statement should be incorporated on label and leaflets that it is toxic to aquatic organism, hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture area. (v) A warning may be incorporated in the label and leaflet stating that this product is toxic to honey bees so do not spray during active honey bees foraging period of the day. (vi)A cautionary statement should incorporate in label/ leaflet that this product is toxic to birds.	
18.	Trichlorfon	(i) No new certificate of registration to manufacture shall be issued after December, 2017 (ii) No person shall import, manufacture or formulate Trichlorfon w.e.f. 1st January, 2019. (iii) The use Trichlorfon shall be completely banned w.e.f. 31st December, 2020. (iv)) It is very toxic to aquatic organism, hence a cautionary statement should be incorporated on label and leaflets that it is toxic to aquatic organism, hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture area. (v) A cautionary statement should incorporate in label/ leaflet that this product is toxic to birds.	Accepted

[F. No. 13035/31/2013-PP-I]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR Digitally signed by HARINDRA KUMAR Date: 2016.12.30 15:53:59 +05'30'